न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट

जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 17 / 2021
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : 08.03.2021

निर्णय दिनांक : 15.05.2025

उनवान

1. रूपा पिता हुक्मा जाति गुर्जर निवासी कुलांची तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज०)

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. हुक्मा पिता गिरधारी जाति गुर्जर निवासी कुलांची तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज०)
2. सवाईराम पिता गिरधारी जाति गुर्जर निवासी कुलांची तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज०)
3. ऐकाराम पिता हुक्मा जाति गुर्जर निवासी कुलांची तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज०)
4. भैरूसिंह पिता देवीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी कुलांची तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज०)
5. पटवारी, पटवार हल्का सेफटिया, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज०)
6. उप पंजीयक महोदय, आमेट जिला राजसमन्द
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से :– **अधिवक्ता गिरिश चन्द्र पुरोहित**
विपक्षी संख्या 04 की ओर से :– **अधिवक्ता भानु कुमार सोनी**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कुलांची पटवार हल्का सेफटिया तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित खाता संख्या नया 36 पुराना 29 के आराजी नम्बर 209 से 216, 231, 235, 236, 48 से 51, 81, 82, 83, 86, 90 से 95 कुल किता 25 रकबा 7.2800 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 20 पुराना 32 के आराजी नम्बर 237मी. कुल किता 01 रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमियां पूर्व में प्रार्थी के दादा जी गिरधारी पिता खुमा जी गुर्जर निवासी कुलांची के नाम खातेदारी में दर्ज एवं पुस्तेनी भूमियां थी, जो गिरधारी जी का स्वर्गवास होने के बाद, उसके पुत्र विपक्षी संख्या

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

01, 02 हुक्मा एवं सवाईराम के नाम पर आई, जिसमें प्रार्थी जन्म से ही अपना हक रखता हैं। प्रार्थी स्व० श्री गिरधारी जी का पोत्र हैं एवं कोपार्सन होकर जन्म से ही अपना हक रखता हैं। उपरोक्त कृषि भूमियां कोपार्सनीक सम्पति हैं। प्रार्थी उनका हसअंशधारी हैं। प्रार्थी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैं

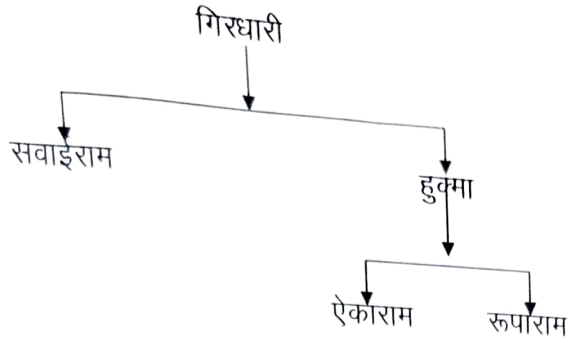

विपक्षी संख्या 01 एवं 03 आपस में सांठगांठ कर प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त भूमियों में उसके हक, अधिकार से वंचित करने की नियत से भूमियों को विक्रय करने की धमकीया दे रहे हैं, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं हैं। विपक्षी संख्या 01 एवं 03 आपस में मिलीभगत कर वादग्रस्त भूमियों को खुर्द बुर्द करने व अन्य को विकय, हस्तान्तरण करने के लिए तैयार एवं तत्पर हैं। अगर विपक्षी संख्या 01 वादग्रस्त भूमियों को हस्तान्तरण कर देगा तो ओर प्रार्थी का कब्जा वादग्रस्त भूमियों से हटा देगा तो प्रार्थी अपने हक, अधिकार से महरूम हो जायेगा। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमियों में 1/6 हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा, विपक्षी संख्या 03 का 1/6 हिस्सा हैं, विपक्षी संख्या 01 व 03 प्रार्थी को उसके जन्म से अधिकार रखने वाली भूमि में प्रवेश करने से भी रोक रहे हैं और जबरन वृक्ष आदि काट काट कर ले जा रहे है और भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका की उन्हें कोई अधिकार नही हैं। विपक्षी संख्या 01 उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमियों में प्रार्णी का वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा जन्म से ही हैं। वादी कोपर्सनर होने के नाते वादग्रस्त भूमियों में उनके 1/6 हिस्से की घोषणा करना आवश्यक हो गया हैं एवं घोषणा के पश्चात् प्रार्थी को भूमियों को बंटवारा कराया जाना भी आवश्यक हो गया हैं। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 से 03 का संयुक्त व अविभाजित कब्जा होने से उक्त काश्त भूमियों का बिना विभाजन कराये ही किसी भी अजनबी व्यक्ति को विक्रय पत्र का पंजीयन नही करा सकता हैं एवं किसी भी अजनबी व्यक्ति को किसी भी विकय पत्र की आड में प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप एवं दखल पहुचाने का कोई हक, अधिकार नही हैं। विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक हैं कि वादग्रस्त भूमिया किसी को विकय, हस्तान्तरण नही करें, न ही विकय पत्र का पंजीयन करावें, न ही प्रार्थी के सामुहिक कब्जे में किसी तरह का हस्तक्षेप करें एवं न ही काश्त कार्यों में रूकावट करें एवं विपक्षी संख्या 04 के विरूद्ध इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराई जावें कि प्रार्थी के वादग्रस्त हक, हिस्से की भूमि में विधिवत विभाजन होने तक किसी प्रकार की बाधा, रूकावट उत्पन्न नही करें, न ही किसी अन्य से करावें एवं विपक्षी संख्या 05, 06, 07 के विरूद्ध इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

अतिआवश्यक है, जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जावें एवं मौके तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया मामला होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं एवं जहा तक अपूर्णिय क्षति का प्रश्न हैं यदि वादग्रस्त भूमि को विपक्षीगण खुर्द बुर्द कर राजस्व रेकार्ड अन्य के नाम हस्तान्तरित कर देगे तो प्रार्थी को भारी अपूर्णिय क्षति होगी ।

अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद प्रदान की जावें कि वादग्रस्त भूमियों में प्रवेश नही करें, न ही प्रार्थी के हक, हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग, काश्त कार्यो में रूकावट करें एवं यह कार्य न तो विपक्षीगण स्वयं करें एवं नही अपने नोकर, एजेन्ट आदि से ही करावें, और किसी प्रकार का निर्माण बैजा दखल अन्दाजी काश्त के कार्यों में रूकावट आदि प्रकार के कृत्य न तो स्वयं करें न अन्य किसी नौकर, एजेन्ट, मित्र आदि से करावें

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 04 की तरफ से अधिवक्ता भानुकुमार सोनी ने मुल वाद मे वकालत नामा पेश किया। विपक्षी संख्या 01,02,03 स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। दिनांक 03.11.2023 को विपक्षीगण की तरफ से कोई उपस्थित नही, न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित जिससे जवाब विपक्षी बन्द किया गया।

दोनो पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम कुलांची पटवार हल्का सेफटिया तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित खाता संख्या नया 36 पुराना 29 के आराजी नम्बर 209 से 216, 231, 235, 236, 48 से 51, 81, 82, 83, 86, 90 से 95 कुल किता 25 रकबा 7.2800 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 20 पुराना 32 के आराजी नम्बर 237मी. कुल किता 01 रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षीगण प्रकरण संख्या 22/2021 रे. वाद के निस्तारण तक मौके एवं अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **15.05.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)